

//निर्णय//

SUM 201/22

(आज दिनांक 02.11.2022 को घोषित किया गया)

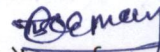
अभियुक्त दिनेश पिता लीलाधर अठया उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम पिपरिया शंकर थाना पथरिया जिला दमोह स्वैच्छया अपराध स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त को धारा 34(1) आबकारी अधिनियम के तहत दोष सिद्ध ठहराया जाता है। प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थिति के अनुसार अभियुक्त को परिवीक्षा का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता।

//दण्डादेश//

अभियुक्त द्वारा स्वैच्छया अपराध स्वीकारोक्ति के आधार पर उसे उक्त अपराध के तहत दोषी पाये जाकर न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 3000/-रुपये के अर्थदंड के दण्ड से दण्डित किया जाता है।

प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति 50 पाव देशी मसाला शराब मूल्यहीन होन से नष्ट की जावे। अन्य संपत्ति वाहन इंजन नंबर duzpf10411 उसके पंजीकृत स्वामी को प्रदान की जावे।

मेरे निर्देश पर टंकित।


राजेन्द्र बर्मन

02/11/22
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
पथरिया, जिला-दमोह (म.प्र.)